मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमॉक एल 1–10/451/2021/ब–7/डीएमसी/चार भोपाल दिनांक 31 मार्च 2021

प्रति,

आयुक्त,
कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन,मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय :– राज्य शासन के कोष से देयक/चेक्स के आहरण के संबंध में।

000

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निर्माण कार्य विभाग/वन विभाग (WDDF /FDDF के देयकों) सहित केन्द्र सहायित (केन्द्र क्षेत्रीय एवं केन्द्र प्रायोजित) योजनाओं हेतु **₹ 25 करोड़** से अधिक राशि के देयकों के कोषालय से आहरण के लिए निम्नांकित मदों के देयकों को छोड़कर शेष सभी देयकों के आहरण हेतु वित्त विभाग से पूर्व अनुमति की आवश्यकता निर्धारित की जाती है:–

I पूँजीगत मदों से संबंधित समस्त आहरण ।

II पंद्रहवें वित्त आयोग के केन्द्र से प्राप्ति पश्चात आहरण ।

III मध्यप्रदेश वेट अधिनियम के तहत देय वापसियों से संबंधित आहरण ।

IV भू–अर्जन से संबंधित राशि एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए आवश्यक आहरण ।

2/– सभी प्रकार के देयकों के आहरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के अधीन रहेंगे।

3/– सभी प्रकार के आहरण में वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका / प्रत्यायोजित अधिकार (Book of Financial Powers / Delegated Powers) का पालन किया जावे ।

4/– वित्त विभाग में प्रस्तुत किये जाने वाले आहरण अनुमति के प्रस्तावों में निम्न विवरण दिया जायेगा:–

(i) आहरण संवितरण अधिकारी का नाम (DDO) जिनके द्वारा आहरण किया जायेगा।

(ii) कोषालय का नाम जिसमें आहरण हेतु देयक प्रस्तुत किया जायेगा ।

(iii) बजट प्रावधान, जो जारी किया गया एवं शेष का आवंटन प्रमाणीकरण।

(iv) यह प्रमाण पत्र, कि राशि आहरण कर बैंक खातें में नहीं रखी जावेगी तथा योजनांतर्गत संचालित बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रतियॉ भी संलग्न करें ।

5/– यह अनुमति आदेश जारी होने के 15 दिन अथवा उस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च (जो भी पहले हो) तक ही वैध होगी ।

6/– यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

7/– उपरोक्त निर्देश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे ।

(गणेश शंकर मिश्रा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल

भोपाल दिनांक 31 मार्च 2021

पृ.क्रं. एल1–10/452/2021/ब–7/डीएमसी/चार

प्रतिलिपि :–

1. शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष एवं बजट नियंत्रण अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
2. समस्त संभागायुक्त/जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश ।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश ।
4. वित्त विभाग की समस्त बजट शाखाओं/बजट अधिकारियों की ओर सूचनार्थ ।
5. समस्त कोषालय/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

(अरविन्द कुमार गुप्ता)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल